न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा (दौसा)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 24 / 2020

1. रुपराम पुत्र नथौली जाति माली निवासी महवा तहसील महवा (मृत्तक)

1/1 मंगली देवी पत्नी रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/2 दिलीप पुत्र रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/3 भूरसिंह पुत्र रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/4 विमला पुत्री रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/5 गोविन्द पुत्र रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/6 अरविन्द पुत्र रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र नथौली जाति माली निवासी महवा तहसील महवा
2. राजाराम पुत्र दुर्गालाल जाति माली निवासी सींत तहसील महवा
3. भूपेन्द्र कुमार पुत्र किस्तूर चन्द जाति वैश्य निवासी गहनौली तहसील महवा
4. सुरेन्द्र जैन पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी मोलोनी तहसील वैर, भरतपुर
5. उप पंजीयक महवा जिला दौसा।
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार महवा (दौसा)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री धर्मसिंह राजपूत वकील प्रार्थीगण

श्री गिरधर सिंह वकील अप्रार्थीगण

मुकदमा नं0 30 / 2020

1. सुरेन्द्र जैन पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी मोलोनी तहसील वैर, भरतपुर
2. राधेश्याम पुत्र नथौली जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रुपराम पुत्र नथौली जाति माली निवासी महवा तहसील महवा (मृत्तक)

1/1 मंगली देवी पत्नी रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

उपखण्ड अधिकारी

1/2 दिलीप पुत्र रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/3 भूरसिंह पुत्र रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/4 विमला पुत्री रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/5 गोविन्द पुत्र रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

1/6 अरविन्द पुत्र रुपराम जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार महवा (दौसा)

3. नगेन्द्र पुत्र हुकमचन्द जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

4. शिवकुमार पुत्र हुकमचन्द जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

5. ब्रहमा पुत्र हुकमचन्द जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

6. घनश्याम पुत्र हुकमचन्द जाति माली निवासी महवा तहसील महवा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री गिरधर सिंह वकील प्रार्थीगण

श्री धर्मसिंह राजपूत वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :— 19/10/2022

निर्णय

उक्त प्रार्थना पत्र समान पक्षकार एवं समान भूमि हेतु पृथक से प्रस्तुत किये गये है। इसलिए इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 119/1211/0.86, बांके ग्राम महवा तहसील महवा में स्थित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं 1 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी सं 2 एवं 3 का 1/4 हिस्सा, तथा अप्रार्थी सं 4 का 1/4 हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 1 एवं अप्रार्थी सं. 4 की भूमि के मध्य होकर प्रार्थी अपनी काश्त हेतु ट्रेक्टर लाने व लेजाने एवं फसल को लाने हेतु रास्ता काम में लेता चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि पूर्व में नगेन्द्र कुमार व अन्य के हिस्से की भूमि थी जिसे पुनः अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा खरीद लिया था लेकिन अप्रार्थी सं. 2 व 3 जमीन को बेचने पर आमदा है। उक्त भूमि का रास्ता छोडकर आपसी सहमति से बटवारा

उपखण्ड अधिकारी

कि अचानक अप्रार्थी सं.1 आया और कहने लगा कि अप्रार्थी सं. 2 लगायत 4 से उनके हिस्से क्रय करने की उनसे बात हो चुकी है और तुम्हें कोई रास्ता नहीं देगें। अप्रार्थीगण से विधिवत तकास्मा कराने की कहा तो स्पष्ट मना कर दिया। उक्त भूमि को क्रय कर तीनों हिस्सों ही बाउण्ड्रीवाल निर्माण कर प्रार्थी को आने जाने में परेशानी पैदा करने पर आमदा है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मनसूबों में कामयाव हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से होना संभव नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है। अतः अप्रार्थीगण को आराजी के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र रुपराम बनाम राधेश्याम दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वर्णित आराजी वादग्रस्त के महवा से पाली जाने वाली सडक से लगे हुए है। आराजी के मध्य होकर रास्ता होना एवं आना व जाना होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सभी का हिस्सा रोड से लगा हुआ है प्रार्थी का हिस्सा 1/4 भाग खेत सडक पर लगा हुआ है और वाहमी बटवारा भी मीट्स एण्ड वाउण्ड्स है। सभी को अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी बढी हुई है। प्रार्थीगण वेईमान है जो कि अपना हिस्सा सडक पर नहीं बता कर सुरेन्द्र जैन के पीछे बताता है तथा राधेश्याम व सुरेन्द्र जैन के बीच में होकर 20 फुट का चौडा रास्ता बताता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थी को मिन अप्रार्थी के हिस्से से कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः जबाव पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश होने से खारिज योग्य है।

इसी प्रकार प्रार्थना पत्र सुरेन्द्र बनाम रुपाराम मे उक्त वर्णित आराजी का प्रार्थीगण सुरेन्द्र वगैरहा द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 आर.टी.ए. के तहत दिनांक 01.06.20 को इस आशय का प्रस्तुत किया है कि पूर्व में प्रार्थी सुरेन्द्र का हिस्सा 1/4 एवं राधेश्याम का हिस्से 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी रुपराम का हिस्सा 1/4 था जिसमें से राजाराम व भूपेन्द्र हिस्सा 1/4 के खातेदार थे इन्होने अपने हिस्से को दिनांक 04.03.2020 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा प्रार्थी राधेश्याम को विक्रय करा दिया जिसका अभी राधेश्याम के नाम नामान्तरकरण नही भरा है। दिनांक 14.3.20 को अप्रार्थीगण प्रार्थी राधेश्याम के 1/2 हिस्सा के कुछ भाग पर लाठी डण्डों से लैस होकर आये व ट्रेक्टर से जोत

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महवा (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

लगा दी और कहा कि 4–5 लाख रुपया दो नहीं तो तुम्हारी जमीन पर नींव खोद निर्माण कर कब्जा करेंगे और तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे। राधेश्याम ने उन्हें बहुत समझाया और कानूनी बटवारा कराने की कहा तो ऐलानिया धमकी देकर गये। आराजी का कानूनन बटवारा नहीं होने से आपस में डोलमेड तोडते रहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण का केस बखूबी साबित है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा जबाव पेश किया। जबाव में अंकित किया है कि सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से की आराजी पर हिस्सानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी राधेश्याम द्वारा राजाराम एवं भूपेन्द कुमार जैन से उनका हिस्सा क्रय नहीं किया है। उक्त आराजी के तरफ पूर्व को महवा पाली सडक से ग्रेवल रास्ता पाली को जा रहा है उस रास्ता के लगवां एक तरफ प्रार्थी सं. 1 व एक तरफ प्रार्थी सं. 2 का कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी पूर्व में हो रहे बटवारा नहीं करा मीट्स एण्ड वाउण्ड्स बटवारा कराने चाहते है और उत्तरदाताओं का रास्ता देना नहीं चाहते है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया दोनो ही प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–75 विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में उभय पक्ष के द्वारा आराजी के विशिष्ट हिस्से पर अपना–अपना हक जताया जा रहा है। विभाजन से पूर्व आराजी के प्रत्येक इंच पर सभी पक्षकारान का हक है। उभय पक्ष के हित का निर्धारण भविष्य में मूल दावा में तनकी एवं साक्ष्य के आधार पर होगा। अगर उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो उभय पक्ष द्वारा भूमि का बेचान कर दिया जावेगा। जिससे वाद बहुलता बढेगी। इसलिए उभय पक्ष के हितों की रक्षा एवं वाद बहुलता कम करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभय पक्ष में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। अगर उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो असुविधा भी दोनो ही पक्षों को होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी उभय पक्ष में निहीत है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन उभय पक्ष में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी उभय पक्ष को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति उभय पक्ष के पक्ष में है। दोनो ही प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दोनो ही प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाते है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 17/03/2020 एवं 05.06.2020 को ताफैसला मुकदमा कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/10/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा